**विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में पद**

2663. **श्री विश्राम प्रसाद :** क्या शिक्षा मंत्री 23 मार्च, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2677 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यालय में प्रत्येक संवर्ग में अलग-अलग कितने प्रतिशत पद अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचि आदिम जातियों के व्यक्तियों के लिये रक्षित है ;

(ख) क्या ऐसे सभी पदों पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्ति ही कार्य कर रहे है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर):** (क) विशेष योग्यताओं की मांग करने वाले पदों के मामलों को छोड़ कर, हर केडर में खुली प्रतियोगिता के अलावा, सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले रिक्त स्थानों के 1 $\frac{2}{3}$ प्रतिशत और 5 प्रतिशत क्रमशः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित कबीलों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रखे जाते हैं।

(ख) विभिन्न केडरों में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित 33 पदों के आगे 31 व्यक्ति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दफ्तर में काम कर रहे है। अनुसचित कबीलों के लिए तत्सम्बन्धी आंकड़े 19 और 'कुछ नहीं' है।

(ग) उपयुक्त उम्मीदवारों का न मिलना।

**दिल्ली के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी**

2664. **श्री विश्राम प्रसाद :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी नये भर्ती किये गये कांस्टेबलों से अपना घरेलू कार्य करवाते हैं तथा अपने से कनिष्ठ अधिकारियों से अपनी मोटर कारों आदि की मरम्मत करवाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस कुप्रथा को दूर करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) :** (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

**भारत में विदेशी धर्म प्रचारक**

2665. **श्री विश्राम प्रसाद :**
**श्री काशी राम गुप्त :**
**श्री नरदेव स्नातक :**
**श्री मोहन स्वरूप :**
**श्री छ० म० केदरिया :**

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1947 में भारत में विदेशी धर्म प्रचारकों की संख्या कितनी थी ; और

(ख) 31 मार्च 1966 में यह संख्या कितनी थी ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) :** (क) और (ख). 14 अगस्त, 1947 को भारत में पंजीकृत विदेशी धर्म प्रचारकों की कुल संख्या 2,271 थी और 1 जनवरी 1966 को 4,214। इन आंकड़ों में राष्ट्र-मण्डलीय देशों के धर्म प्रचारक शामिल नहीं हैं क्योंकि उन्हें पंजीकरण नहीं कराना पड़ता।

**अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों के इन्टरव्यू में प्राप्त अंक**

2666. **श्री विश्राम प्रसाद :**
**श्री काशी राम गुप्त :**
**श्री नरदेव स्नातक :**

**श्री मोहन स्वरूप :**
**श्री हु० च० कछवाय :**

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनुसूचित जाति तथा अन्य निर्धन वर्गों के अधिकतर उम्मीदवार भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा तथा भारतीय विदेश सेवा के लिये ली जाने वाली परीक्षाओं में इंटरव्यू के समय असफल हो जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन्टरव्यू के लिये अंकों की सीमा कम करके इस असन्तुलन को दूर करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी नहीं । इन तीनों सेवाओं के लिये चयन के तरीके को बताने वाला एक विवरण संलग्न है ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

**विवरण**

इन तीनों सेवाओं की प्रतियोगिता परीक्षाओं की प्रक्रिया इस प्रकार है कि ऐसे उम्मीदवार जो लिखित परीक्षा में अर्हता के लिये संघ लोक सेवा आयोग द्वारा स्वविवेक के आधार पर निर्धारित कम से कम अंक प्राप्त कर लेते हैं, व्यक्तित्व-परीक्षण के लिए साक्षात्कार पर बुलाये जाते हैं। व्यक्तित्व-परीक्षण के बाद उम्मीदवारों को अन्तिम रूप से मिले हुए कुल प्राप्तांकों के आधार पर योग्यता-क्रम के अनुसार रखा जाता है और केवल उतने ही उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए सिफारिश की जाती है जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग नियुक्ति के योग्य समझता है । अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिये ऐसी प्रथा है कि चाहे वे किसी सेवा के लिए आयोग द्वारा निर्धारित स्तर के आधार पर अर्हता प्राप्त न कर सकें फिर भी प्रशासन में दक्षता के स्तर को बनाये रखने का ध्यान रखते हुए उन्हें नियुक्ति के योग्य घोषित कर दिया जाता है । व्यक्तित्व परीक्षा के लिये बुलाये जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या सामान्यतः उपलब्ध रिक्तियों की संख्या से बहुत अधिक होती है और इस लिए परीक्षा की प्रकृति के अनुसार ही केवल उतने ही उम्मीदवारों को अन्तिम रूप से सफल घोषित किया जा सकता है जितना कि सामान्य तथा आरक्षित अवसरों में रिक्तियां उपलब्ध हों । व्यक्तित्व परीक्षण के लिये अर्हता के न्यूनतम अंकों की कोई सीमा नहीं है । इस स्पष्टीकरण को देखते हुए यह कहना ठीक नहीं होगा कि अनुसूचित जातियों के अधिकतर उम्मीदवारों व्यक्तित्व परीक्षण के समय असफल होते हैं ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों से इतर उम्मीदवारों में अन्य निर्धन वर्गों को छांटना सम्भव नहीं है ।

**अन्दमान द्वीप समूह में लोगों का बसाया जाना**

2367. **श्री हु० च० कछवाय :**
**श्री विश्राम प्रसाद :**
**श्री काशीराम गुप्त :**
**श्री मोहन स्वरूप :**
**श्री नरदेव स्नातक :**

क्या श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्री 23 मार्च 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2653 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जन संख्या की निरन्तर वृद्धि तथा बर्मा और अन्य देशों से भारतीय मूल के व्यक्तियों के लगातार स्वदेश लौटने को ध्यान में रखते हुए, क्या सरकार का विचार महाद्वीप (मेनलैण्ड) से कुछ इच्छुक व्यक्तियों को अन्दमान द्वीपसमूह में बसाने का है ; और